Dr. SALIM RAJ
CHAIRMAN
Cabinet Minister Status

Ph. No. : +91 771 4914840
Office : Collectorate Chowk,
Raipur-492001 (C.G.)

CHHATTISGARH STATE WAQF BOARD

(Constituted under Waqf Act. 1995 as amended 2013, Govt of India)

Ref. No. 164/2026 Date 11/06/2026

–: ऐलान :–

छत्तीसगढ़ राज्य वक़्फ़ बोर्ड की गुज़ारिश
मोहर्रम, उर्स व दीगर इस्लामी तक़रीबात में ग़ैर–शरई उमूर पर मुकम्मल पाबंदी

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की जानिब से सूबे की तमाम ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियान इंतेजामिया कमेटी एवं तमाम जिम्मेदारान को गुज़ारिश की जाती है कि मोहर्रम, उर्स एवं दीगर इस्लामी तकरीबात का एहतेमाम सिर्फ कुरआन–ए–करीम, अहादीस–ए–मुबारका और शरीअत–ए–मुतह्हरा के मुताबिक किया जाए।

मोहर्रम, उर्स एवं दीगर मज़हबी तक़रीबात में डीजे, धुमाल, बैंड–बाजा, नाच–गाना, आतिशबाज़ी व तमाम ग़ैर–शरई और गैर–मुनासिब सरगर्मियों की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम कमेटियां और जिम्मेदारान इस बात को यकीनी बनाएं कि तक़रीबात पूरे अदब, एहतराम, अम्न–ओ–अमान और शरीअ़त के दायरे में अंजाम पाएं।

यह भी हिदायत दी जाती है कि किसी भी जुलूस, उर्स या मज़हबी तक़रीब में ग़ैर–शरई उमूर, डीजे, धुमाल, बैंड–बाजा, आतिशबाज़ी यां दूसरी ममनूअ (प्रतिबंधित) सरगर्मियां पाई जाने पर संबंधित कमेटी एवं ज़िम्मेदार अफ़राद के खिलाफ़ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, ज़रूरत पड़ने पर संबंधित कमेटी को भंग किया जाएगा साथ 50000 का जुर्माना लगाया जायेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कमेटी एवं इंतेज़ामिया पर होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड तमाम मुसलमानों से अपील करता है कि मोहर्रम को हजरत इमाम हुसैन और शुहदा–ए–कर्बला की अजीम कुर्बानियों की याद में इबादत, सब्र, सादगी, अख़लाक़ और मज़हबी अदब के साथ मनाएं व हर उस अमल से परहेज़ करें जो शरीअत–ए–इस्लामिया के ख़िलाफ़ हो।

तमाम मुतवल्लियान, इंतेजामिया कमेटी एवं मसाजिद के इमाम साहबान से बड़े अदब के साथ गुज़ारिश की जाती है कि अपने–अपने मसाजिद में इस ऐलान को मोहर्रम से पहले जुमा में एलान फरमाएं, मस्जिद के नोटिस बोर्ड में चस्पा करें व अवाम को शरीअत के मुताबिक मोहर्रम, उर्स व दीगर मज़हबी तक़रीबात मनाने की तरग़ीब दें।

सलीमराज

(डॉ.सलीम राज)
अध्यक्ष
छ.ग.राज्य वक़्फ़ बोर्ड
(केबिनेट मंत्री दर्जा)